

RTI-139

CE

मानव संसाधन अधिकारी (आयुक्त) द्वारा जारी

CEOM	
GS	
Dt	04 MAY 2017
DIARY No.	5897

आवेदन - यशवीर परमार द्वारा  
 169 सुल्तानपुरा आगल

सूचना - वार्ड नं-6 अं नं 169 A+B में किले में एक  
 (मोबाइल) लगे हैं लमां उनकी अनुमति प्राप्त करने वाले पत्र की  
 सामग्री उपलब्ध कराये।

सूचना देने का विभाग - आयुक्त परिसर आगल

सूचना की तिथि - 04-05-2017

यशवीर परमार



ईमेल: [ceoagra@yahoo.com](mailto:ceoagra@yahoo.com)  
वेबसाइट: [www.cbagra.org.in](http://www.cbagra.org.in)  
दूरभाष: 0562-2227275, 2227379  
फैक्स: 0562-2227380

सं०-68/आर.टी.आई-139/सी.बी.ए./2017/917  
कार्यालय छावनी परिषद  
114 फतेहपुर सीकरी रोड़  
आगरा - 282001  
दिनांक 09 मई, 2017


सेवा में,

श्री यशवीन परमार पुत्र स्व० किशन सिंह परमार  
निवासी - 169, सुल्तानपुरा, आगरा छावनी

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत डायरी संख्या- 5097 दिनांक 04.05.2017  
व आवेदन संख्या : 139 के सम्बन्ध में।

आपके द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 04.05.2017 के सन्दर्भ में अवगत कराया जाता है कि कार्यालय छावनी परिषद आगरा के द्वारा मोबाइल टॉवर की स्वीकृति नहीं दी गई है।

*Boyleant*

  
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी  
छावनी परिषद, आगरा  
(डा० अशोक कुमार शर्मा)